5वें किसान स्वराज सम्मेलन की ड्राफ्ट घोषणा

मैसूर, 11-13 नवंबर, 2022

जलवायु परिवर्तन संकट के युग में खाद्य संप्रभुता, पोषण सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और किसान सशक्तिकरण

5वें किसान स्वराज सम्मेलन में 2000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें महिलाओं, युवाओं, आदिवासी किसानों, बीज बचतकर्ताओं, सामुदायिक आयोजकों, नीति निर्माताओं, ज़मीनी कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उपभोक्ताओं, छात्रों सहित विभिन्न प्रकार के किसानों का प्रतिनिधित्व किया गया। सभी उपस्थित लोग देश भर के प्रयासों और आंदोलनों के आयोजन से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे नेटवर्क की विशालता को प्रकट करता है। 5वें किसान स्वराज सम्मेलन के अंत में हमारी उम्मीद और मज़बूत हुई है, और पारिस्थितिक कृषि और स्थायी कृषि आजीविका के लिए हमारी प्रतिबद्धता और दृढ़ हुई है। हम आपसी संबंधों और एक दूसरे से मिली सीखों के माध्यम से पुनर्जीवित महसूस कर रहे हैं। यह सम्मेलन उस ऐतिहासिक किसान आंदोलन की तर्ज पर आयोजित किया गया था जिसने देश की राजनीति में किसानों की आवाज़ को मुखर किया था।

UNFCCC के मिस्र COP27 की तरह ही, इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय जलवायु संकट है जो हमारी खाद्य प्रणालियों और कृषि आजीविका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके साथ कई अन्य गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। छोटे किसानों से ज़मीन, बीज, बाज़ार और राज्य का समर्थन छीनने के लिए ताकतवर तंत्र काम कर रहे हैं। ये तंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित कॉर्पोरेट-नियंत्रित, अस्थिर और औद्योगिक कृषि का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कृषि का बढ़ते नारीकरण और बेदखल आदिवासियों का काश्तकारी किसानी करने के लिए मजबूर होना विशेष समूहों की असुरक्षा को दर्शाता है।

इन चुनौतियों को हमारी सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करते हुए, हमारे प्रतिनिधियों ने स्पष्ट प्रस्ताव और रचनात्मक समाधान पेश किये, जो उनके सामूहिक कार्य से निकले। नीचे हम इन समाधानों पर प्रकाश डालते हैं और निम्नलिखित के लिए अपनी प्रतिबद्धता और मांगों को रेखांकित करते हैं:

समावेशी कृषि पारिस्थितिकी: हमें कृषि-पारिस्थितिकी के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो भारत में मौजूद विभिन्न रूपों और नामों को अपनाता हो। कृषि पारिस्थितिकी अब एक वैकल्पिक दृष्टिकोण नहीं हो सकता है, यह जलवायु संकट से निबटने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। हम जलवायु संकट के शमन और अनुकूलन दोनों के लिए कृषि-पारिस्थितिकी के महत्व को समझते हैं। हम कृषि पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत की राष्ट्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की सराहना करते हैं, और इस ऐतिहासिक क्षण को राज्य के नेतृत्व में होने वाले प्रयासों और ज़मीनी प्रयासों के संयोजन के एक वास्तविक अवसर के रूप में देखते हैं। हम सरकारों से यह समझने का आह्वान करते हैं कि कृषि-पारिस्थितिकी के लिए ज़रूरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे पास है, और वर्तमान प्रयासों को नवीन और किसानों को सशक्त करने वाली संस्थागत वास्तुकला और विस्तार की तरफ ध्यान देना चाहिए, जहां सही निवेश जानकार किसानों और महिलाओं को नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करेगा।

किसानों की संप्रभुता को बढ़ावा देना: हम मानते हैं कि ऐसे संस्थागत कारण हैं जो किसानों की सम्प्रभुता को कम करते हैं- जैसे भूमि, बीज, जंगल और पानी पर कानूनी अधिकारों का क्षरण, (अंतर्राष्ट्रीय) व्यापार व्यवस्थाएं जो किसानों की निर्भरता को बढ़ाने की कोशिश करती हैं, वित्त और उपज की बिक्री, और डेटा और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधिपत्य के नए रूपों का बनना। हम उन प्रणालियों को बढ़ावा देने का संकल्प लेते हैं जो सभी क्षेत्रों में किसानों की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और संप्रभुता को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। डिजिटल कृषि की दुनिया में भी, हम वैधानिक ढांचे, मजबूत नियम, किसान-केंद्रित शासन और किसानों की पूर्व-सूचित सहमति की मांग करते हैं ताकि वे अपने मुताबिक़ आवश्यकता और उपयोग को निर्धारित कर सकें।

काश्तकार, बटाईदार और अन्य किसानों को पहचानना: हमारी महिला किसान हमारे अधिकांश भोजन का उत्पादन करती हैं, फिर भी समाज में उनके भूमि स्वामित्व की कमी और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के कारण उन्हें किसान के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। इसी तरह, काश्तकार किसानों और बटाईदारों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है और उन्हें भी राज्य के माध्यम से मान्यता और सहयोग दिया जाना चाहिए। कई गैर-उपज करने वाले किसानों को अपने आप में किसान के रूप में मान्यता और समर्थन नहीं दिया जाता है। ऐतिहासिक रूप से, उत्पीड़ित जातियों को भूमि के स्वामित्व से बाहर रखा गया है और वे आज खेत मजदूरों का बड़ा हिस्सा हैं। ऐसे सभी कमजोर किसानों को पहचाना जाना चाहिए और उनकी भूमि तक पहुंच को

प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि भूमि के एक दुर्लभ संसाधन होने के कारण, इसे लाभ उद्देश्यों के लिए बाज़ार के अभिनेताओं के अधीन होने से बचाना चाहिए।

सभी किसानों के लिए आय की गारंटी: मौजूदा कृषि संकट के कारण किसानों की आत्महत्याओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, बीमा उत्पादों सहित पर्याप्त और प्रभावी आपदा क्षतिपूर्ति प्रणाली, किसानों के सामूहिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा पर निवेश जैसे उपायों के माध्यम से आय की गारंटी हमारे अन्नदाताओं को एक सम्मानजनक जीवन की ओर और ले जाएगी।

हमारी कृषि-विविधता और आत्मनिर्भर बीज प्रणालियों का संरक्षण और पुनरुद्धार: जलवायु संकट से निबटने के हमारे प्रयासों में हमारी कृषि जैव विविधता एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यही कारण है कि हमारे बीज किसानों के हाथ में रहने चाहिए और कॉरपोरेट आईपीआर से बंधे बिना उनका आदान-प्रदान और स्वतंत्र रूप से विकास होना चाहिए। आज ज़रूरत है कि उपभोक्ता आगे आएं और अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने खरीद व्यवहार में बदलाव लाएं जिससे कि कृषि-विविधता के पुनरुद्धार को समर्थन मिले। हमें चाहिए कि सभी सरकारें उन राज्य एजेंसियों के प्रयासों को दोहराने की कोशिश करें जो किसानों की बीज-किस्मों को औपचारिक बीज प्रणाली में लाने का काम कर रही हैं।

सभी के लिए सुरक्षित, विविध और समग्र आहार: हमारे सभी नागरिकों को सुरक्षित, पौष्टिक और विविध भोजन का अधिकार है जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। हमारी प्लेटों पर विविधता और पोषण का सीधा संबंध हमारे खेतों की विविधता और मिट्टी के स्वास्थ्य से है। वर्तमान पोषण योजनाएं, जैसे कि फोर्टीफिकेशन, हमारे खाद्य पदार्थों में रासायनिक पोषक तत्वों के इस्तेमाल द्वारा जोख़िम भरे दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं, जो कि वास्तविक भोजन के हमारे अधिकार के लिए खतरा हैं। इसी तरह, समुदायों को यह बताना कि वे क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, हमारे संविधान के खिलाफ है। पोषण सुरक्षा को मुख्य रूप से उन रास्तों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए जो कृषि-विविधता के साथ कृषि-पारिस्थितिकी को पुनर्जीवित करते हों। साथ ही बिना खेती वाले खाद्य पदार्थों, पशु-आधारित पोषण सहित स्थानीय विविध खाद्य संस्कृतियों की सुरक्षा करते हुए सबके लिए समग्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

भारत की खाद्य प्रणालियों को अनावश्यक, अवांछित और असुरक्षित जीन प्रौद्योगिकियों के जोखिमों से सुरक्षित रखना: हमारी जैव विविधता को दूषित और नष्ट करने वाले जीएमओ का हमारी खेती में कोई स्थान नहीं है। जीन संपादन से जीएमओ भी बनता है। यह सभा शाकनाशी-सहिष्णु जीएम सरसों को मंज़ूरी देने की तरफ अपनी असहमति और निराशा प्रकट करती है, जिसे बढ़ी हुई पैदावार और सुरक्षा के निराधार और

अवैज्ञानिक दावों के आधार पर मंज़ूरी मिली है। हम समझते हैं कि यह सार्वजनिक क्षेत्र की हाइब्रिडाइजेशन तकनीक के नाम पर एक खतरे की घंटी है, जो हमारी खाद्य प्रणाली में जीएमओ के प्रवेश का रास्ता खोलती है। हम भारत सरकार से 'विज्ञान के प्रति जिम्मेदार और समाज के प्रति उत्तरदायी' होने और इस पर्यावरण मंजूरी को तुरंत वापस लेने का आह्वान करते हैं।

न्यायिक व्यापार: मुक्त व्यापार ने कृषि उत्पादों की उन देशों से आयत की अनुमति देकर जो कृषि व्यवसाय निगमों को भारी सब्सिडी प्रदान करते हैं, कृषि आजीविका को बहुत खतरे में डाल दिया है। मुक्त व्यापार हमारी खाद्य संप्रभुता के लिए खतरा है। व्यापार उचित शर्तों के तहत होना चाहिए जो स्थानीय उत्पादकों को विस्थापित नहीं करता हो और पारिस्थितिकी को नुकसान नहीं पहुंचाता हो। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधियां अन्य सम्मेलनों और समझौतों को निरस्त करते हुए नहीं चल सकतीं। जलवायु संकट के समय में, और एक वैश्विक महामारी की पृष्ठभूमि में, स्थायी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके स्थानीय खाद्य प्रणालियों को प्राथमिकता देना पहले से कहीं अधिक ज़रूरी हो गया है।

ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच एकजुटता के संबंध: हम देखते हैं कि कई शहरी लोग ग्रामीण भारत में हमारे अन्नदाता के सामने आने वाली वास्तविकताओं से परिचित नहीं रहे हैं। हमारा मानना है कि परस्पर संबद्धता को पहचानने और एकजुटता के संबंध को बनाने की आवश्यकता है।

हम खुद को और अपने समुदायों को शिक्षित करने, बहस में शामिल होने, अपनी सरकारों को जवाबदेह ठहराने, अपनी खाद्य प्रणालियों में सुधार के प्रति नागरिकों को जागरूक करने और जहां कहीं भी खड़े हैं, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसान स्वराज के लिए यह हमारा सत्याग्रह है।

हम इस सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए कर्नाटक के लोगों और संगठनों की उदारता का दिल से धन्यवाद करते हैं।